राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक: प.25(5)आयु/2020

दिनांक **23 MAR 2020**

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.03.2020 तथा 20.03.2020 द्वारा समस्त अवकाशों को प्रतिबंधित (अपरिहार्य कारणो को छोडकर) करते हुए मौसमी बीमारियों के बचाव एंव आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराने आदि के निर्देश प्रदान किये गये।

जैसा की विदित है कि वर्तमान में COVID-19 विषाणु के संक्रमण/संक्रमण की आशंका से युक्त व्यक्तियों की संख्या में बढोतरी हो रही हैं, जिससे चिकित्सा एवं आवश्यक बचाव के उपायों में विभागीय सहयोग आवश्यक है। राजस्थान एपीडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा 2 के प्रावधान लागू होने से, जिला प्रशासन तथां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना एवं सहयोग करने के लिए समस्त आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/कार्मिक चिकित्सालय/औषधालय में शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही जिला प्रशासन तथा चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में प्रदत्त निर्देशों की भी पालना करें।

COVID-19 विषाणु के सामुदायिक संक्रमण से बचने के उद्देश्य से, चिकित्सालय/औषधालयों को राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी द्वारा वर्ष 2018-19 के तहत पत्रांक प.11(10)रा.आ.मि/प्रशा. एवं वि. स्वीकृति/2019/3715-22 दिनांक 26.12.2019 द्वारा कंन्टीजेन्सी के लिए आवंटित राशि मे से, इस संबंध में जारी दिशा निर्देशो में चिकित्साधिकारी/कार्मिक स्टाफ हेतु मास्क एंव सैनेटाईजर नियमानुसार क्रय कर सकेगे।

(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**
**निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर**
आयुष भवन सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर 302033 फोन नं.2796625मेल- DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक: सामा./को./2020/**914** दिनांक: **23.03.2020**

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. समस्त प्रभारी / चिकित्साधिकारी, राज. यूनानी चिकि. / औष. / केन्द्र समस्त राजस्थान को उपरोक्तानुसार कार्य संपादन हेतु आदेशित किया जाता है।
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक



E/Sam